refusal of Government to place orders for the products;

(b) if so, the reasons for reducing/denying the order for products; and

(c) whether Government will place orders to the Hindustan Latex?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) No, Sir. Orders are placed on M/s Hindustan Latex Ltd. in terms of the policy of purchase perference.

(b) Question does not arise, in view of reply to (a) above.

(c) Orders will be placed in terms of policy of purchase Preference.

Setting up of a bench of Karnataka High Court at Gulbarga

3577. SHRI GUNDAPPA KORWAR: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Government of Karnataka had taken a decision in 1992 for setting up of bench of Karnataka High Court at Gulbarga; and

(b) whether Government have taken any decision for setting up of bench at Gulbarga and if not, by when a decision is proposed to be taken and implemented?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS, LEGISLATIVE DEPARTMENT AND DEPARTMENT OF JUSTICE (SHRI RAMAKANT D. KHALAP): (a) and (b) The Government of Karnataka had sent a proposal for the establishment of a bench of the Karnataka High Court at Hubli-Dharwad. In his letter dated 25.7.95, the then Chief Minister of Karnataka stated that on 28.5.92, the State Government had decided to recommend for the establishment of another bench of the High Court at Gulbarga. However, no such proposal has been received from the State Government in consultation with the High Court. As such, it is not possible for the Central Government to consider the question of establishment of a High Court bench at Gulbarga.

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीश

3578. **श्री मूलचन्द मीणा:** क्या विधि और न्याय मंत्री जुलाई, 1996 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1597 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, और

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है?

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी॰ खलप): (क) और (ख) 1.9.1996 को, भारत के उच्चतम न्यायालय में 25 न्यायाधीश थे और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 503 न्यायाधीश अपर न्यायाधीश थे।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में व्यक्तियों की जाति और वर्ग के आधार पर नियुक्ति के विषय में आरक्षण न होने के कारण, जाति या वर्ग, आदि के संबंध में पृथक् रूप से कोई जानकारी नहीं रखी जाती है।

वाहनों संबंधी बीमा दावे

3579. **श्री कनकसिंहु मोहन सिंह मंगरोला:**
श्री नागमणि:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बीमा कंपनियों को वाहनों के संबंध में किये जाने वाले बीमा दावों के मामलों का निपटान करने में कितना समय लगता है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पेश किये गये ऐसे दावों की संख्या कितनी है तथा तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार लंबित पड़े मामलों की कंपनी-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे मामलों के निपटान में विलंब के लिए अधिकारियों का दायित्व निर्धारित करने हेतु कोई नियम बनाये हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या-क्या प्रयास किये गये हैं?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) जबकि वाहनों की क्षति से संबंधित दावों का निपटान सामान्यतया, दावाकर्ताओं से अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात् कर दिया जाता है, तथापि, तृतीय पक्ष के दावों का निपटान न्यायालय के फैसले के पश्चात् किया जाता है:—

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:

(संख्या लाख में)

कम्पनी का नाम	वर्ष		
	1993-94	1994-95	1995-96
नेशनल	1.04	1.09	1.50
न्यू इंडिया	1.63	1.71	2.14
ओरिएंटल	1.25	2.03	1.85
यूनाईटेड इंडिया	1.47	1.26	1.30
	5.39	6.09	6.79

(ग) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:—

लम्बित दावों की संख्या (आंकड़े हजार में)

कम्पनी का नाम	एक वर्ष तक	दो वर्ष तक	तीन वर्ष तक
नेशनल	35.58	2.81	1.98
न्यू इंडिया	107.68	16.31	11.34
ओरिएन्टल	25.97	22.05	10.92
यूनाईटेड इंडिया	58.65	25.28	17.19
जोड़	227.88	66.45	41.43

(घ) और (ङ) कम्पनियों के दावों के त्वरित निपटान के लिए विभिन्न उपायों की शुरूआत पहले ही कर दी है और यदि कोई अधिकारी चूक का दोषी पाया जाता है तो कम्पनियों के आचार, अनुशासन और अपील नियमों में आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रावधान है।

Expanding Branches of Commercial Banks

3580. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of FINANCE be pleased o state:

(a) whether Government have a proposal to expand the branches of different commercial banks during the Ninth Plan;

(b) if so, the names of the States where the branches of different banks are proposed to be expanded; and

(c) the details of the places selected in those States to open new branches in Ninth Plan period?

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (c) Reserve Bank of India (RBI) have reported that they do not have any specific branch expansion programme during the 9th Plan. Under the extant branch licensing policy of the Reserve Bank of India (RBI), it is left to the judgement of commercial banks to open branches in metropolitan, urban and semi-urban centres after assessing the need therefor and obtaining the approval of RBI. The proposals for opening of rural branches identified by the banks which are recommended by State Governments/Union Territories are also considered by the RBI on merits.

However, RBI have given freedom to banks which fulfil the under mentioned criteria to open new branches:

(i) compliance with capital adequacy norms of 8 per cent;

(ii) minimum owned funds of Rs. 100 crores;

(iii) the ban showing net profits for three consequtive years; and